भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 3141
21 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

प्रत्येक परिवार के लिए शौचालय

3141. श्रीमती मंजुलता मंडलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के लिए अलग-अलग शौचालयों (आईएचएचएल) और सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या एसबीएम-यू के अंतर्गत राज्यों को कम धनराशि आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने एसबीएम-यू के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा निधारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य और मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा लक्ष्यों को यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या एसबीएम-यू के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए शहरों को प्रेरित करने हेतु कोई प्रतियोगिता आयोजित की गई है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क), (ग) और (घ): भारत सरकार ने खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) और देश के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) शुरू किया। की गई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान सहित 100%

स्रोत पृथक्करण, अपशिष्ट के सभी अंशों का घर-घर जाकर संग्रहण और वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने के विजन के साथ शुरु किया गया है।

अब तक 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) ने खुद को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया है। इनमें से 3,547 यूएलबी को एसबीएम-यू के तहत ओडीएफ+, 1,191 यूएलबी को ओडीएफ++ और 14 यूएलबी को वाटर+ के रूप में प्रमाणित किया गया है। देश में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण 2014 में 17% से बढ़कर 76.49% हो गया है, यानी कुल उत्पन्न 1.57 लाख टन प्रति दिन (टीपीडी) में से 76.49% एमएसडब्ल्यू को सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ), अपशिष्ट से खाद, अपशिष्ट से गैस/बिजली, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण आदि के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पुराने कूड़ा-कचरा स्थलों का सुधार भी शुरू कर दिया गया है।

व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के निर्माण के लिए निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा <u>अनुलग्नक</u> में दिया गया है।

(ख): एसबीएम-यू के तहत निधि का आवंटन कुल शहरी जनसंख्या में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी आबादी के अनुपात में वेटेज और सांविधिक कस्बों की कुल संख्या में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वैधानिक कस्बों की संख्या के अनुपात में वेटेज के आधार पर किया गया था। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, राज्यों के शहरी स्थानीय निकायों का निधि वितरण, राज्य की जनसंख्या और क्षेत्र का वेटेज को 50:50 से बदलकर 90:10 कर दिया गया है तथा एसबीएम-यू दिशानिर्देशों को, केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में यूएलबी को पिछली लागत परियोजना के 20% से अधिक 35% तक संशोधित किया गया है। अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए विभिन्न जनसंख्या श्रेणी के शहरों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 25%, 33% और 50% की अलग-अलग दरों पर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) दी जाएगी।

(ड.): स्वच्छता राज्य का विषय है और देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, डिजाइन करना, निष्पादित करना और संचालित करना राज्य/यूएलबी की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार एसबीएम-यू का विजन हासिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी, वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करती है:

(i) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे खाद, जैव-मीथेनेशन, अपशिष्ट-से-अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए -ऊर्जा, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ), निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, डंपसाइट उपचार, आदि विभिन्न जनसंख्या श्रेणी के शहरों के लिए 25%, 33% और 50% की अलग-अलग दरों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए)। इसके अलावा, सुरक्षित स्वच्छता के लिए आईएचएचएल, सीटी/पीटी, यांत्रिक कीचड़ हटाने वाले वाहनों के लिए एसीए प्रदान किया जाता है। साथ ही, एसबीएम-यू 2.0 के तहत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए मल कीचड़ शोधन संयंत्र (एफएसटीपी)/सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी)-सह-एफएसटीपी के डिजाइन के लिए एक नया घटक भी प्रदान किया गया है।

(ii) अपशिष्ट प्रबंधन की योजना, डिजाइन और संचालन और रखरखाव के सभी पहलुओं को कवर करने वाले मैनुअल, परामर्शिकाएं, डिजाइन, प्रोटोकॉल के माध्यम से तकनीकी सहायता।

(iii) मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संस्थागत क्षमता बनाने हेतु राज्य और शहरों को क्षमता निर्माण (सीबी) के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

(iv) कचरा मुक्त शहरों के विजन को प्राप्त करने की दिशा में 'जन आंदोलन' को तेज करने और स्वच्छ व्यवहार और संबंधित कार्यों को संस्थागत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर नागरिक पहुंच के साथ-साथ जागरूकता सृजन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और शहरों को सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के लिए भी निधियं प्रदान की जाती हैं।

(च): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरों में बेहतर स्वच्छता प्राप्त करने के लिए शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए 'स्वच्छ सर्वेक्षण' नामक एक वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित करता है। इसके अलावा, शहर तृतीय पक्ष एजेंसियों के माध्यम से वार्षिक ओडीएफ और कचरा मुक्त शहर (जीएफसी) प्रमाणित होते हैं।

अनुलग्नक

"व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) और सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी)" के निर्माण" के संबंध में दिनांक 21.12.2023 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3141 के भाग (क), (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आईएचएचएल लक्ष्य और निर्माण का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, संख्या	
		मिशन का लक्ष्य	निर्मित
1	आंध्र प्रदेश	1,93,426	2,43,764
2	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	336	336
3	अरुणाचल प्रदेश	12,252	9,743
4	असम	75,720	78,214
5	बिहार	3,83,079	3,93,613
6	चंडीगढ़	4,282	6,117
7	छत्तीसगढ	3,00,000	3,26,429
8	दादरा नगर हवेली और दमन दीव यूटी	1,878	2,378
9	दिल्ली	5,000	725
10	गोवा	8,020	3,800
11	गुजरात	4,06,388	5,60,046
12	हरियाणा	71,000	66,638
13	हिमाचल प्रदेश	11,266	6,743
14	जम्मू और कश्मीर	59,600	51,246
15	झारखंड	1,61,713	2,18,686
16	कर्नाटक	3,50,000	3,93,278
17	केरल	29,578	37,207
18	लद्दाख	400	410
19	मध्य प्रदेश	5,12,380	5,79,642
20	महाराष्ट्र	6,29,819	7,14,978
21	मणिपुर	43,644	40,148
22	मेघालय	5,066	1,604
23	मिजोरम	16,441	12,607
24	नागालैंड	23,427	20,448
25	ओडिशा	1,32,509	1,51,341
26	पुदुचेरी	5,681	5,162
27	पंजाब	1,02,000	1,03,683
28	राजस्थान	3,61,753	3,68,515
29	सिक्किम	1,587	1,527
30	तमिलनाडु	4,37,543	5,23,089
31	तेलंगाना	1,63,508	1,57,165
32	त्रिपुरा	19,464	21,757
33	उत्तर प्रदेश	8,28,237	8,97,697
34	उत्तराखंड	27,640	25,701
35	पश्चिम बंगाल	5,15,000	2,82,542
	कुल	**58,99,637**	**63,06,979**

सीटी/पीटी लक्ष्य और निर्माण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कुल समुदाय और सार्वजनिक शौचालय (सीटों की संख्या)	
		मिशन का लक्ष्य	निर्मित
1	आंध्र प्रदेश	21,464	17,799
2	अण्डमान और निकोबार	126	609
3	अरुणाचल प्रदेश	387	89
4	असम	3,554	3,356
5	बिहार	26,439	28,677
6	चंडीगढ़	976	2,512
7	छत्तीसगढ	17,796	18,832
8	दादरा नगर हवेली और दमन दीव यूटी	219	615
9	दिल्ली	11,138	28,256
10	गोवा	507	1,270
11	गुजरात	31,010	24,149
12	हरियाणा	10,393	11,374
13	हिमाचल प्रदेश	876	1,700
14	जम्मू और कश्मीर	3,585	3,451
15	झारखंड	12,366	9,643
16	कर्नाटक	34,839	36,556
17	केरल	4,801	2,872
18	लद्दाख	194	194
19	मध्य प्रदेश	40,230	29,867
20	महाराष्ट्र	59,706	1,66,465
21	मणिपुर	620	581
22	मेघालय	362	152
23	मिजोरम	491	1,324
24	नागालैंड	478	238
25	ओडिशा	17,800	12,211
26	पुदुचेरी	1,204	836
27	पंजाब	10,924	11,522
28	राजस्थान	26,364	31,300
29	सिक्किम	142	268
30	तमिलनाडु	59,921	92,744
31	तेलंगाना	15,543	15,465
32	त्रिपुरा	586	1,089
33	उत्तर प्रदेश	63,451	70,370
34	उत्तराखंड	2,611	4,694
35	पश्चिम बंगाल	26,484	5,746
	कुल	**5,07,587**	**6,36,826**

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं,	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घर-घर जाकर **100%** संग्रह वाले बार्ड, संख्या	कुल वार्ड (संख्या)	कुल उत्पन्न अपशिष्ट (एमटी/डी)	कुल अपशिष्ट प्रसंस्करण
1	आंध्र प्रदेश	3,826	3,877	6,358	86%
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	24	24	62	89%
3	अरुणाचल प्रदेश	488	501	130	5%
4	असम	1,018	1,056	1,174	36%
5	बिहार	4,061	5,701	5,937	23%
6	चंडीगढ़	35	35	533	100%
7	छत्तीसगढ	3,255	3,255	1,625	100%
8	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	43	43	60	100%
9	दिल्ली	293	293	10,550	86%
10	गोवा	225	225	180	98%
11	गुजरात	1,387	1,388	10,187	92%
12	हरियाणा	1,658	1,667	5,448	70%
13	हिमाचल प्रदेश	579	595	886	39%
14	जम्मू और कश्मीर	1,098	1,099	1,176	88%
15	झारखंड	925	1,061	2,006	65%
16	कर्नाटक	6,994	7,188	9,090	89%
17	केरल	3,450	3,533	2,232	82%
18	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	26	26	9	0%
19	मध्य प्रदेश	7,586	7,591	6,859	95%
20	महाराष्ट्र	6,660	6,662	23,563	95%
21	मणिपुर	303	305	217	80%
22	मेघालय	78	123	206	19%
23	मिजोरम	205	205	167	38%
24	नागालैंड	207	420	54	2%
25	ओडिशा	2,035	2,035	1,814	88%
26	पुदुचेरी	126	126	362	7%
27	पंजाब	3,168	3,186	3,852	91%
28	राजस्थान	8,273	8,585	7,727	32%
29	सिक्किम	51	51	70	35%
30	तमिलनाडु	12,579	12,644	15,149	68%
31	तेलंगाना	3,623	3,625	10,561	94%
32	त्रिपुरा	334	334	321	99%
33	उत्तर प्रदेश	13,031	13,960	18,072	87%
34	उत्तराखंड	1,216	1,293	2,023	63%
35	पश्चिम बंगाल	2,527	2,973	7,876	10%
	कुल/औसत	**91,387**	**95,685**	**1,56,535**	**76.49%**

*****